न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)
मुकदमा संख्याः—267 / 2019
जी सी एम एस न0 2019 / 00661

दर्ज दिनांक 18.11.2019
निर्णय दिनांक 23.01.2023

1. विकास कुमार मीणा पुत्र नत्थूराम जाति मीणा निवासी किशोरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं (राज.)

आवेदक

बनाम

1. नत्थूराम पुत्र मालाराम जाति मीणा निवासी किशोरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं (राज.)
3. प्रियंका कुमारी पत्नी प्रमोद कुमार जाति मीणा निवासी मैनपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

अनावेदकगण

प्रार्थना—पत्र अस्थाई व्यादेश

निर्णय

दिनांक 23.01.2023

आवेदक ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया है कि उनवानी विकास कुमार बनाम नत्थू आदि बाकायदा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया है। उक्त दावा बहुत ही मजबूत आधारो पर आधारित है। जिसमें आवेदक को सफलता मिलने की पूरी—पुरी आशा एंव विश्वास है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई व्यादेश का पेश किया कि ग्राम किशोरपुरा की सरहद में भूमि खसरा न. 1090 / 212 रकबा 0.04 है0, खसरा न. 203 रकबा 0.42 है0, खसरा न. 235 रकबा 0.43 है0, खसरा न. 58 रकबा 0.27 है0, खसरा न. 59 रकबा 0.35 है0 अवस्थित है, जिसमें आवेदक के पिता अनावेदक संख्या 1 का हिस्सा 1 / 4 है जिसे आगे प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त विवादित भूमि आवेदक की पैत्रिक भूमि है जिसमें आवेदक का हक व हिस्सा है, आवेदक का पिता अनावेदक संख्या 1 एक शराबी व्यक्ति है तथा आवेदक को बार—बार भूमि को विक्रय करने की धमकी देता है जिस दिन आवेदक को शराब के पैसे देने से इनकार कर देता है उसी दिन अनावेदक संख्या 1 विवादित भूमि को बेचने की धमकी देता है। विवादित भूमि पर आवेदक का कब्जा है जिस पर कृषि करके आवेदक अपना व सम्पूर्ण परिवार का पालन पोषण करता है अनावेदक संख्या 1 मात्र अपने नेश की आदत के चलते उक्त भूमि का विक्रय करना चाहता है जो विधि सम्मत नहीं है व कानूनन के विपरीत है अगर अनावेदक संख्या 1 द्वारा भूमि का विक्रय दीगर व्यक्ति को कर दिया जाता है तो आवेदक को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी भरपाई करना सम्भव नहीं है। अनावेदक संख्या 1 लगायत विवादित भूमि को विक्रय करने के लिए धमकियां दी जा रही है तथा दिनांक 10.11.2019 को किन्हीं अनजान व्यक्तिों को लेकर अनावेदक संख्या 1 विवादित भूमि पर आया और भूमि को विक्रय के लिए दिखा रहा था जिसे दिनांक 10.11.2019 को वाद कारण उत्पन्न हुआ जो आज दिन तक निरन्तर बना हुआ है। इस कारण अनावेदकगण को पाबन्द फरमाने हेतु प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि अनावेदकगण को इस आशय से पाबन्द किया जावे कि ग्राम किशोरपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा न. 1090 / 212 रकबा 0.04 है0, खसरा न. 203 रकबा 0.42 है0, खसरा न. 235 रकबा 0.43 है0, खसरा न. 58 रकबा 0.27 है0, खसरा न. 59 रकबा 0.35 है0 भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का कोई व्यवधान व बाधा उत्पन्न नहीं करें। तथा अनावेदकगण को उक्त भूमि का विक्रय, रहन दीगर व्यक्ति को नहीं करें तथा मौके व रिकॉर्ड की [illegible]स्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की [illegible]

प्रार्थिया नं. 3 की ओर से उनके अधिवक्ता ने जबाबदावा पेश [illegible] निवेदन किया है कि आवेदक ने अपने पिता से कहकर जवाबदेहन्दा को भूमि विक्रय [illegible] भूमि का विक्रय पत्र हुआ उस वक्त आवेदक स्वयं मौजूद था आवेदक [illegible] जानकारी थी, और विक्रय का प्रतिफल भी अनावेदक संख्या 1 ने आवेदक के समक्ष ही प्राप्त किया था और आवेदक ने भूमि विक्रय होने के पश्चात् करीब 3 माह पश्चात उक्त प्रार्थना पत्र जवाबदेहन्दा को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से पेश किया है जो काबिले खारिज है। जवाबदेहन्दा ने अपने अतिरिक्त कथन में बताया कि ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:47:44 IST
Reason: SelfAttested

किशोरपुरा की भूमि खसरा न. 203, 235 में से दिनांक 26.08.2019 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा अनावेदक संख्या 1 से उसके हिस्से की भूमि क्रय की थी, भूमि क्रय करने के समय से जवाबदेहन्दा उक्त खरीदशुरा भूमि क्रय की थी, भूमि क्रय करने के समय से जवाबदेहन्दा उक्त खरीदशुदा भूमि पर कब्जा काश्त है। आवेदक एवं अनावेदक संख्या 1 ने मिलकर आपसी सहमति से उक्त भूमि विक्रय की है। अनावेदक ने उत्तरदाता को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र झूठे व मनगढंत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। अनावेदक संख्या 1 ने भूमि खसरा न. 203, 235 में से अपने 1/4 हिस्से को बेचान किया है अनावेदक की ओर भी भूमि शेष्ज्ञ है जिसमें से चाहे तो आवेदक अपने हिस्से की घोषणा करवा सकता है। इस कारण आवेदक का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। आवेदक ने प्रार्थना पत्र में सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया इसलिए आवेदक का प्रार्थना पत्र आवश्यक पक्षकारों के अभाव में खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय अतिरिक्त कथन पेश कर निवेदन है कि आवेदक का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादी नं. 1 व 2 बावजूद तामिल सूचना के बार–बार आवाज दिलाने के उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

बहस प्रार्थना–पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना में अंकित तथ्यो को दौहराया तथा कथन किया कि उक्त विवादित भूमि आवेदक की पैत्रिक भूमि है जिसमें आवेदक का हक व हिस्सा है, आवेदक का पिता अनावेदक संख्या 1 एक शराबी व्यक्ति होने के कारण आवेदक को बार–बार भूमि को विक्रय करने की धमकी देता है। भूमि का राजस्व रिकॉर्ड जो कि अनावेदक संख्या 1 के नाम पर दर्ज है, का फायदा उठकार भूमि का विक्रय कर देता है तो आवेदक के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा व अनावेदक संख्या 1 को विवादित भूमि को विक्रय करने का कोई कानूनन अधिकार भी प्राप्त नहीं है। विवादित भूमि पैत्रिक भूमि है जिसमें आवेदक का हिस्सा व हक है। अगर अनावेदक संख्या 1 द्वारा भूमि का दीगर व्यक्ति को विक्रय कर दिया जाता है तो आवेदक को काफी अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर सम्भव नहीं होगी। अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अनावेदकगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना प्रार्थनीय है। प्रतिवादी न0 3 के अधिवक्ता ने बहस में जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया कि जवाबदेहन्दा ने ग्राम किशोरपुरा की भूमि खसरा न. 203, 235 में से दिनांक 26.08.2019 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा अनावेदक संख्या 1 को उसके हिस्से की भूमि क्रय की थी, भूमि क्रय करने के समय से जवाबदेहन्दा उक्त खरीदशुदा भूमि पर कब्जा काश्त है। विक्रेता ने उक्त भूमि का विक्रय अपने पुत्र विकास कुमार (आवेदक) की सहमति से विक्रय थी तथा विक्रय पत्र तस्दीक के समय उप पंजियक कार्यालय में आवेदक अपने पिता अनावेदक संख्या 1 नत्थू के साथ उपस्थित था तथा विक्रयशुदा भूमि का प्रतिफल भी क्रेता से अनावेदक ने आवेदक के समक्ष ही प्राप्त किया था। इस प्रकार आवेदक ने भूमि विक्रय होने की जानकारी के बाद उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिले खारिज है। आवेदक एवं अनावेदक संख्या 1 ने मिलकर आपसी सहमति से उक्त भूमि विक्रय की है। अनावेदक उत्तरदाता को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र झूठे एवं मनगढ़त तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो काबिले खारिज है। आवेदक ने प्रार्थना पत्र में सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। इस कारण आवेदक का प्रार्थना पत्र आवश्यक पक्षकारें के अभाव खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय अतिरिक्त उत्तर पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र का दावा इस न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि हक हकुक के संबंध में निर्णय तो दावे के विधिवत सुनवाई के पश्चात ही तय होना है। विवादग्रस्त भूमि को लेकर उभयपक्षकारान के मध्य अनावश्यक मुकदमाबाजी व विवाद नहीं बढे इसके लिए अनावेदिकागण को जरिये अस्थाई ... से दावे का निर्णय होने तक पाबन्द किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:47:44 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से दावे का निर्णय होने तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम किशोरपुरा के भूमि खसरा न. 1090/212, 203, 235, 58, 59 भूमि मे से नत्थूराम के हिस्से 1/ 4 मे से 1/3 हिस्से तक मोका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।

23/1/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक को 23.01.2023 को मेरे द्वारा अलग से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/1/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:47:44 IST
Reason: SelfAttested